संख्या-59/2019/1891ई-2/तेरह-2019-128/2017

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 24 सितम्बर, 2019

विषय:- के0वाई0 रेस्टोरेन्ट एण्ड बार फतेहपुर सीकरी रोड, बाग कलां, किरावली, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1099/आब0सहा0/2018-19, दिनांक 29-07-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29-07-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 20-07-2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-95/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/के0वाई0/आगरा, दिनांक 04-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी-अभुआपुरा किरावली, आगरा द्वारा उनके के0वाई0 रेस्टोरेन्ट एण्ड बार फतेहपुर सीकरी रोड, बाग कलां, किरावली, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा**,** पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई में स्थापित अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है**,** इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था पूर्ण करने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-59/2019/1891(1) ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-95/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/के0वाई0/आगरा, दिनांक 04-09-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in